अति महत्वपूर्ण

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश

1250, तुलसीनगर पिन कोड - 462003

दूरभाष - 0755- 2556916

ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/दि.स/362/2021/1083 भोपाल, दिनांक 28/4/2021

प्रति,

समस्त

संयुक्त / उप संचालक

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश

विषय:- भारत सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 8.3.2019 के अनुक्रम में बैंकमार्क वाले दिव्यांगजनों को " उच्च सहायता " का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 8.3.2019

कृपया भारत सरकार द्वारा जारी संलग्न संदर्भित अधिसूचना का अवलोकन करें , जिसके अनुसार दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में आंशिक संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन के क्रम में उल्लेखनीय है कि :-

1. दिव्यांगजन अधिकार नियम के **अध्याय 5 (क) के उपनियम 1** अनुसार बैंचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 38 (1) के क्रम में उच्च सहायता की आवश्यकता के लिये अपने जिले के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सिविल सर्जन / अथवा चिकित्सा अधीक्षक को आवेदन कर सकता है।

2. स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र रखने वाले केवल बैंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति उच्च सहायता की आवश्यकता के आवेदन करने के पात्र होगें।

3. बैंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति को उच्च सहायता के लिये शामिल किये जाने हेतु जिला अथवा खण्ड स्तर पर निम्नानुसार बोर्ड का गठन किया जाता है :-

1.	जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सिविल सर्जन अथवा चिकित्सा अधीक्षक	**अध्यक्ष**
2.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	**सदस्य**
3.	पांच पुनर्वास विशेषज्ञ [शारिरिक चिकित्सा और पुनर्वास अथवा हड्डी विशेषज्ञ, कान-नाक-गला विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ,सामान्य चिकित्सा (यदि प्रार्थी 18 वर्ष का है अथवा उससे ज्यादा है) अथवा बाल चिकित्सा(यदि प्रार्थी 18 वर्ष से कम है), मनोचिकित्सक]	**सदस्य**

4.	ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अथवा वाक्, थेरेपिस्ट अथवा नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा फिजियोथैरेपिस्ट (आवश्यकतानुसार)	**सदस्य**
5.	कोई अन्य विशेषज्ञ, जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझे	**सदस्य**

नोट :- उपरोक्त बोर्ड हेतु यदि किसी श्रेणी के सदस्य की जिला स्तर पर उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो नियमानुसार आउटसोर्स किया जा सकता है।

4. **अध्याय 5 (क) के उपनियम 6** अनुसार निर्धारित किये गये 100 बिन्दु ग्रेडिड अधिभार के आधार पर ही अंको का निर्धारण किया जायें।

5. बैंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति को उच्च सहायता के लिये शामिल किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्तानुसार भारत सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना **दिनांक 8.3.2019** के अनुक्रम में जिला स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जायें कि बैंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति को उच्च सहायता के लिये शामिल किये जाने के पूर्व उनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्यत: उपलब्ध हों।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(स्वतंत्र कुमार सिंह)
संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

पृष्ठांकन क्र/ दि.स/2021 / 1084 भोपाल, दिनांक 28/4/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

Certificate of High Support Need

See Section 38 of RPwD Act 2016 & Rule 14 - A (1 to 10)

Reg. No. Date :- ____/____/____

This is certify that Mr./Msr./Ms. ____

S/o, D/o Shri. ___________________________ Date of Birth______________ Age _______Years,

Male / Female _____________ House No. _________ ward no. / Vill./Street ________________

__________________ Post Office ________________ District _________________ State _____.

Whose disability certificate no. __________________________ issued by District Medical Board

District _______________ dated ___________ has been assessed as a case of _______________

_______________________________ disability His/her extent of percentage is _______in word

____________________________ He / She has been assessed for High Support Need as under.

Diagnosis: ____

Parameters		Weightage	Score
(a) Severity of physical disability (Max. Weightage - 25)	(a) 40% - 59%	15	
	(b) 60% - 79%	20	
	(c) 80% - 100%	25	
(b) Severity of mental / developmental disability (which restricts the person to take any informed decision) (Max. Weightage - 25)	(a) 40% - 59%	15	
	(b) 60% - 79%	20	
	(c) 80% - 100%	25	
(c) The extent to which daily activities in a person is hampered	(i) Bathing, Brushing, Combing, Dressing	10	
	(ii) Toilet hygiene (getting to the toilet, cleaning oneself, getting backup etc)	10	
	(iii) Functional mobility (ability to work, get in and out of bed, get in and out of a chair, moving from one place to other while performing activities.	10	
	(iv) Self – feeding (not including cooking)	05	
(d) Cognitive Abilities like ability to take safety measures to use transport, logistics, gadgets, not to get lost (Max. Weightage - 5)	-	05	
(e) Environmental Barriers like access to health care or support systems for rehabilitation or health needs (Max. Weightage - 5)	-	05	
(f) Socio-economic status (Max. Weightage - 5)	APL	0	
	BPL	5	
Total Score		**100**	

(If the score is 60 or more the person will be having High Support Needs)

As per rule 14 (A) (7) the person is recommended for following **High Support Needs**.

1. ____
2. ____
3. ____

- Seal & Signature of Board Member

______________________	______________________	______________________
Member 1	Member 2	Member 3

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2019/फाल्गुन 20, 1940
No. 184] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2019/ PHALGUNA 20, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

सा.का.नि. 209(अ).—जबकि दिनांक 22 अक्तूबर, 2018 की जी.एस.आर. संख्या 1053 (ई) के जरिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप–धारा (1) एवं (2) द्वारा यथा अपेक्षित दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2018 का मसौदा भारत के शासकीय राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा 3, उप धारा (1) में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली शासकीय राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति से पूर्व इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि शासकीय राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना को प्रकाशित किया गया था दिनांक 23 अक्तूबर, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया गया था;

अब इसलिए केन्द्रीय सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 और उप धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः–

1. **लघु, शीर्ष एवं सीमा.-** (1) यह नियम दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं ।

(2) यह नियमावली इनके अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू की जाएगी।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, अध्याय 5 के पश्चात, निम्नलिखित अध्याय शामिल किया जाएगा, नामतः

"अध्याय 5 (क)

14 (क) (1) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वह प्राधिकारी अधिसूचित करेंगे जिसको बैंचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 38 (1) के अनुसार उच्च सहायता की आवश्यकता के लिए आवेदन कर सकता है ।

(2) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र रखने वाले केवल बैंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति उच्च सहायता की आवश्यकता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे ।

(3) राज्य सरकारें निम्नलिखित को शामिल करते हुए बैंचमार्क दिव्यांगजनों की संख्या के आधार पर जिला अथवा खण्ड स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन करेंगी :–

(क) जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सिविल सर्जन अथवा चिकित्सा अधीक्षक – अध्यक्ष

(ख) जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य

(ग) पांच पुनर्वास विशेषज्ञ [शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास अथवा हड्डी विशेषज्ञ, कान–नाक–गला विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सक (यदि प्रार्थी 18 वर्ष का है अथवा उससे ज्यादा है) अथवा बाल चिकित्सक (यदि प्रार्थी 18 वर्ष से कम है), मनोचिकित्सक] – सदस्य

(घ) ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अथवा वाक् थेरेपिस्ट अथवा नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा फिजियोथैरेपिस्ट (आवश्यकतानुसार) – सदस्य

(ड.) कोई अन्य विशेषज्ञ, जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझे – सदस्य

(4) उप–नियम (1) में अंकित अधिसूचित प्राधिकारी मूल्यांकन हेतु प्रत्येक मामला उसका/उसकी उच्च सहायता आवश्यकता के लिए निर्धारण बोर्ड को भेजेगा ।

(5) निर्धारण बोर्ड उच्च सहायता आवश्यकता वाले प्रार्थी को मूल्यांकन के लिए आमंत्रित करेगा और यदि आवश्यक हो, तो नैदानिक निर्धारण कर सकता है ।

(6) निर्धारण बोर्ड छह मापदंडों के आधार पर प्रार्थी का मूल्यांकन करेगा और निम्नांकित 100 बिन्दु ग्रेडिड अधिभार के आधार पर अंकों का निर्धारण करेगा:–

मापदंड		अधिभार
(क) शारीरिक दिव्यांगता की गंभीरता (अधिकतम अधिभार – 25)	(क) 40%– 59% (ख) 60% – 79% (ग) 80% – 100%	15 20 25
(ख) मानसिक/विकासात्मक दिव्यांगता की गंभीरता (जो किसी सूचित निर्णय के लिए व्यक्ति को प्रतिबंधित करती है) (अधिकतम अधिभार – 25)	(क) 40%– 59% (ख) 60% – 79% (ग) 80% – 100%	15 20 25
(ग) व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों में किस हद तक बाधा आती है (अधिकतम अधिभार 35)	(1) स्नान, मंजन, कंघी करना, कपड़े पहनना । (2) शौचालय स्वच्छता (शौचालय जाना, स्वयं हाथ धोना, बैकअप आदि प्राप्त करना) (3) कार्यात्मक गतिशीलता (कार्य करने की क्षमता, बिस्तर पर लेटना और उठना, कुर्सी पर बैठना और उठना, क्रियाकलापों के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना । (4) अपने हाथ से भोजन करना (खाना बनाना शामिल नहीं है)	10 10 10 05
(घ) संज्ञानात्मक क्षमताएं जैसे यातायात, संभार, गैजेटस के इस्तेमाल में सुरक्षा उपाय सम्भंदित सावधानी बरतना, गुम न होने की क्षमता । (अधिकतम अधिभार – 5)	–	05
(ड.) वातावरण बाधाएं जैसे स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र अथवा पुनर्वास सहायता प्रणाली अथवा स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति तक पहुंच । (अधिकतम अधिभार – 5)	–	05
(च) सामाजिक–आर्थिक स्थिति (अधिकतम अधिभार – 5)	गरीबी रेखा से ऊपर गरीबी रेखा से नीचे	0 05
योग		100

(7) निर्धारण बोर्ड उप—नियम (6) में अंकित 100 अंकों में से 60 अंक पाने वाले किसी भी बैंचमार्क दिव्यांगजन को अधिक सहायता आवश्यकता के लिए सिफारिश कर सकता है।

(8) निर्धारण बोर्ड अधिसूचित प्राधिकारी को मूल्यांकन के लिए कथित प्राधिकारी से प्राप्त अनुरोध की तारीख से 90 दिनों की अवधि में अपनी सिफारिश जमा करेगा ।

(9) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे बैंचमार्क दिव्यांगजनों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित योजनाएं विकसित कर सकते हैं ।

(10) उप—नियम (1) में अंकित किए अनुसार अधिसूचित प्राधिकारी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य प्रशासन की योजनाओं/कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, जो भी मामला हो, निर्धारण बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर आवेदनों पर उच्च सहायता की आवश्यकता के लिए विचार करेंगे ।"

[फा. सं. 16—16/2017—डीडी—III]

डौली चक्रबर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

G.S.R.209(E).—Whereas a draft of certain rules to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 was published as required by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1053(E), dated the 22nd October, 2018 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the day on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 23rd October, 2018;

And whereas the objections and suggestions received from the public were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

1. Short title and extent.- (1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, after Chapter V, the following Chapter shall be inserted, namely:-

"**CHAPTER VA**

14A. (1) The State Governments or Union Territory Administrations shall notify the authority to whom a person with benchmark disability can apply for the high support requirement as per sub-section (1) of Section 38 of the Act.

(2) Only the persons with benchmark disabilities having permanent certificate of disability shall be eligible for applying for high support requirement.

(3) The State Governments shall constitute Assessment Board at the District level or Division level based on the number of persons with benchmark disabilities comprising the following:-

(a) District Chief Medical Officer or Civil Surgeon or Medical Superintendent.................................Chairperson;

(b) District Social Welfare Officer……………………Member;

(c) Five rehabilitation specialists [Physical Medicine and Rehabilitation or Orthopaedic specialist, ENT specialist, Ophthalmologist, General Physician (if the applicant is 18 years or above) or Pediatrician (if the applicant is less than 18 years), Psychiatrist]…………Members;

(d) Occupational therapist or speech therapist or Clinical Psychologist or Physiotherapist (as per requirement)………………Member;

(e) Any other expert as the Chairperson deems appropriate……….Member.

(4) The authority notified under sub-rule (1) shall refer every case to the Assessment Board for assessment of applicant's high support requirement.

(5) The Assessment Board shall invite the applicant of high support requirements for assessment and may, if necessary, seek clinical assessment.

(6) The Assessment Board shall assess the applicant on the basis of the six parameters (a) to (f) and assign scores on the basis of the 100 point graded weightage indicated below:-

Parameters		**Weightage**
(a) Severity of physical disability	(a) 40% - 59%	15
	(b) 60% - 79%	20
(Max. weightage – 25)	(c) 80% - 100%	25
(b) Severity of mental/developmental disability (which restricts the person to take any informed decision)	(a) 40% - 59%	15
	(b) 60% - 79%	20
(Max. weightage – 25)	(c) 80% - 100%	25
(c) The extent to which daily activities in a person is hampered	(i) Bathing, Brushing, combing, Dressing	10
(Max. weightage – 35)	(ii) Toilet hygiene (getting to the toilet, cleaning oneself, getting backup etc)	10
	(iii) Functional mobility (ability to work, get in and out of bed, get in and out of a chair, moving from one place to other while performing activities)	10
	(iv) Self-feeding (not including cooking)	5
(d) Cognitive Abilities like ability to take safety measures to use transport, logistics, gadgets, not to get lost (Max. weightage – 5)	-	5
(e) Environmental Barriers like access to health care or support systems for rehabilitation or health needs (Max. weightage – 5)	-	5
(f) Socio-economic status	APL	0
(Max. weightage – 5)	BPL	5
Total		100

(7) Any person with benchmark disability with a score 60 out of 100 point mentioned in sub-rule (6) may be recommended by the Assessment Board for high support needs.

(8) The Assessment Board shall submit its recommendations to the authority notified under sub-rule (1) within a period of 90 days from the date of receiving request for assessment from the said authority.

(9) The State Government or Union Territory Administrations may develop dedicated schemes to provide high support to such persons with benchmark disabilities.

(10) The authority notified under sub-rule (1) shall consider the application for high support requirement on the basis of the recommendations of the Assessment Board keeping in view the schemes or programmes of the respective State Governments or Union Territory Administrations, as the case may be."

[F. No. 16-16/2017-DD-III]

DOLLY CHAKRABARTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.11 18:14:35 +05'30'